निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 115/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मदन लाल पुत्र श्री मोती लाल जाति रेगर निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सिन्धु नगर को आपरेटिव हाउदसगि सोसायटी लि॰ रजिस्ट्रेशन नम्बर 1576/एल जरिये अध्यक्ष मोहन लाल पुत्र श्री बंशीधर शर्मा निवासी बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर ।
2. श्री अशोक चौधरी आर ए एस पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ।

प्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 7/2020 ब उनवानी सिन्धु नगर कॉ आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी बनाम शिव लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेश चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 26.10.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 7/2020 ब उनवानी सिन्धु नगर कॉ आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी बनाम शिव लाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चाहर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते रेस्पोडेन्ट तामिल हेतु नियत है। उक्त पत्रावली में दिनांक 19.07.2021 को प्रार्थी द्वारा उक्त अपील मे पक्षकार बनने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र के जबाब हेतु पत्रावली दिनांक 26.07.2021 नियत की गई। दिनांक 26.07.2021 से

कलक्टर जयपुर

आगामी पेशी 27.07.2021 वास्ते जबाब व बहस हेतु नियत कर दी गई। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शीघ्र निस्तारण कर प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त प्रकरण में आवश्यक रूचि रखते हुये उक्त प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशियां नियत कर उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्व फैसल करने हेतु तत्पर है। पत्रावली में पूर्व की आदेशिकाए भी नहीं लिखी गई है। ना ही प्रार्थी को नकल उपलब्ध कराई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थी को एलानिया कहा गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 मेरे प्रभाव में है और मेरे कहे अनुसार ही उक्त प्रकरण में फैसला मेरे पक्ष में करेंगे। पहले भी मैने उक्त अधिकारी से अपील मेरे पक्ष में निर्णित करवा ली है। पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियो के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी ने आदेश 1 नियत 10 सीपीसी बाबत पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अभी तक पक्षकार नहीं बना है। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल कराने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पैण्डिंग है। प्रार्थी अभी प्रकरण में पक्षकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

26/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर
जयपुर